



उत्तर प्रदेश सरकार

2024-2025 के लिये

अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें

(दिसम्बर, 2024)

(जैसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयीं)

उत्तर प्रदेश सरकार

2024-2025 के लिये

अनुपूरक अनुदानों

की

मांगें

(दिसम्बर, 2024)

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तावनिक टिप्पणी

किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि के लिये विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट है। व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिनके लिए मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती। अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिए हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान-मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो। ऐसी मांग "प्रतीक मांग" कहलाती है जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है।

2. वित्तीय वर्ष 2024–2025 की द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, अनुपूरक अनुदान की मांग की धनराशि, जिसकी अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं। विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीर्षों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया है। अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसलिए की जा रही है कि आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष कम पड़ने की सम्भावना है। इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान की मांग में "उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि" से स्वीकृत किये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, जिसका उल्लेख सम्बन्धित अनुदान के अन्तर्गत टिप्पणी में किया गया है। विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है।

3. प्रस्तावित अनुपूरक मांग ₹ 1786571.79 लाख हैं, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 1378754.98 लाख तथा पूंजी लेखा ₹ 407816.81 लाख है। अनुपूरक मांग ₹ 1786571.79 लाख में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिये ₹ 3048.40 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(2) एवं 6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन माँगों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अग्रहायण 26, शक संवत्, 1946
तदनुसार
17 दिसम्बर, 2024

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

**उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण**

अधिनियम की धारा 6(2) में निम्नवत् व्यवस्था है –

"वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय के रूख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा । पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय ।"

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2024–2025 की प्रथम छमाही के आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2024–2025 की प्रथम छमाही के लिये पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।

वर्ष 2024–2025 की प्रथम छमाही हेतु पुनर्विलोकन रिपोर्ट –

(₹ करोड़ में)

मद	बजट अनुमान 2024–2025	महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आँकड़े 2024–2025 (30.09.2024 तक)	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1 राज्य का स्वयं का कर	270086.00	98551.25	36.49
2 करेतर राजस्व	24434.84	5803.62	23.75
3 केन्द्रीय करों में राज्यांश	218816.84	97732.14	44.66
4 केन्द्र सरकार से अनुदान	93464.72	19320.35	20.67
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (योग – 1, 2, 3 एवं 4)	606802.40	221407.36	36.49
5 उधार एवं अग्रिम की वसूली	3298.63	300.36	9.11
कुल गैर उधार प्राप्तियाँ (योग – 1, 2, 3, 4 एवं 5)	610101.03	221707.72	36.34
(ब) व्यय			
6 राजस्व व्यय	532655.33	201253.26	37.78
7 पूंजीगत परिव्यय	154747.47	35368.65	22.86
8 उधार एवं अग्रिम	9228.74	3511.94	38.05
9 ऋणों का प्रतिदान	39806.17	6941.53	17.44
कुल व्यय (योग – 6, 7, 8 एवं 9)	736437.71	247075.38	33.55
(स) राजस्व बचत	74147.07	20154.10	----
(द) राजकोषीय घाटा	86530.51	18426.12	----

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है -

"6(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की तत्सम कमी और / या राजस्व के सम्वर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी।"

प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का कुल आकार ₹ 1786571.79 लाख है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्राँश की धनराशि ₹ 42256.29 लाख तथा समायोजन की धनराशि ₹ 20000.00 लाख को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि ₹ 1724315.50 लाख है। इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेतर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों (द्वितीय किश्त) की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹ लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
004	उद्योग विभाग (खाने और खनिज)	मुख्य मंत्री	राजस्व	15.00	...	1-2
			पूँजी	55.00	...	
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	औद्योगिक विकास मंत्री	राजस्व	4012.23	...	3-4
008	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	औद्योगिक विकास मंत्री				5
			पूँजी	750.00	...	
009	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	राजस्व	609519.00	75.00	6-8
			पूँजी	249133.00	...	
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	कृषि मंत्री				9
			पूँजी	2.00	...	
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	ग्राम्य विकास मंत्री	राजस्व	1995.21	...	10-11
			पूँजी	22110.66	...	
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	पंचायती राज मंत्री	राजस्व	1.00	...	12-13
			पूँजी	45400.00	...	
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	पशुधन मंत्री	राजस्व	100000.00	...	14-15
			पूँजी	100.00	...	
020	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	मुख्य मंत्री				16
			पूँजी	1500.00	...	
021	खाद्य तथा रसद विभाग	मुख्य मंत्री				17
			पूँजी	3232.00	...	
026	गृह विभाग (पुलिस)	मुख्य मंत्री	राजस्व	2050.00	...	18-19
			पूँजी	2748.40	...	

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों (द्वितीय किश्त) की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6
028	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजनैतिक पेंशन मंत्री			20
			पूँजी	200.00	...
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	चिकित्सा शिक्षा मंत्री	राजस्व	37458.00	... 21-23
035	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	परिवार कल्याण मंत्री	राजस्व	150000.00	9227.95 24-25
036	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	राजस्व	3000.00	... 26
037	नगर विकास विभाग	नगर विकास मंत्री	राजस्व	2.00	... 27-28
			पूँजी	5000.00	...
038	नागरिक उड्डयन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	101.90	... 29-30
039	भाषा विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	105.00	... 31-32
042	न्याय विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	8000.00	... 33
043	परिवहन विभाग	मुख्य मंत्री			34
			पूँजी	1.00	...
044	पर्यटन विभाग	पर्यटन मंत्री	राजस्व	2050.00	... 35-36
			पूँजी	20200.00	...
046	प्रशासनिक सुधार विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	120.00	... 37
047	प्राविधिक शिक्षा विभाग	प्राविधिक शिक्षा मंत्री	राजस्व	413.00	... 38-39
			पूँजी	1000.00	...
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	मुख्य मंत्री	राजस्व	500.00	... 40

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों (द्वितीय किश्त) की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सडकें)	मुख्य मंत्री	राजस्व	60000.00	...	41-43
			पूँजी	20000.00	...	
060	वन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	3000.00	...	44-45
			पूँजी	8500.00	...	
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	वित्त मंत्री	राजस्व	43400.00	200000.00	46-47
			पूँजी	113.00	...	
063	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	वित्त मंत्री				48
			पूँजी	350.00	...	
067	विधान परिषद् सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री	राजस्व	196.68	...	49-51
			पूँजी	705.90	55.00	
068	विधान सभा सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री				52
			पूँजी	60.00	...	
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	2000.00	...	53
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	उच्च शिक्षा मंत्री	राजस्व	392.97	...	54-57
			पूँजी	12458.31	...	
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री				58-59
			पूँजी	239.12	...	
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	370.00	...	60-61
			पूँजी	50.00	...	
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	23298.45	...	62-63
080	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	2150.00	...	64-66
			पूँजी	100.00	...	

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूर्क मांगों (द्वितीय किश्त) की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	11580.35	...	67-72
			पूँजी	1592.45	...	
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	मुख्य मंत्री	राजस्व	47371.24	...	73-78
			पूँजी	12160.97	...	
084	सामान्य प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	350.00	...	79-80
086	सूचना विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	50500.00	...	81-82
091	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	5500.00	...	83
			योग : राजस्व	1169452.03	209302.95	
			पूँजी	407761.81	55.00	
			योग :	1577213.84	209357.95	
			कुल योग :	1786571.79		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
राजस्व लेखा		
क - सामान्य सेवायें		
(क) राज्य के अंग		
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	67	196.68
योग : 2011		196.68
योग : (क)		196.68
(ख) राज कोषीय सेवायें		
(II). सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण		
2030 - स्टाम्प पंजीकरण	91	5500.00
योग : 2030		5500.00
(III). वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण		
2045 - वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	09	75.00
योग : 2045		75.00
योग : (ख)		5575.00
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा		
2048 - ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन	61	200000.00
योग : 2048		200000.00
2049 - ब्याज अदायगियां	35	9227.95
योग : 2049		9227.95
योग : (ग)		209227.95
(घ) प्रशासनिक सेवायें		
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें	78	370.00
योग : 2052		370.00
2053 - जिला प्रशासन	84	50.00
योग : 2053		50.00
2055 - पुलिस	26	500.00
योग : 2055		500.00
2059 - लोक निर्माण कार्य	55	500.00
योग : 2059		500.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें		
	26	1550.00
	46	120.00
योग : 2070		1670.00
योग : (घ)		3090.00
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवायें		
2075 - विविध सामान्य सेवायें		
	61	43400.00
	84	300.00
योग : 2075		43700.00
योग : (ङ)		43700.00
योग : क		261789.63
ख - सामाजिक सेवायें		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति		
2202 - सामान्य शिक्षा		
	39	105.00
	72	2000.00
	73	392.97
	81	11533.68
	83	40065.01
योग : 2202		54096.66
2203 - तकनीकी शिक्षा		
	47	413.00
योग : 2203		413.00
योग : (क)		54509.66
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण		
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
	31	37458.00
	36	3000.00
योग : 2210		40458.00
योग : (ख)		40458.00
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		
2217 - शहरी विकास		
	37	2.00
योग : 2217		2.00
योग : (ग)		2.00
(घ) सूचना तथा प्रसारण		
2220 - सूचना तथा प्रचार		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	86	50500.00
योग : 2220		50500.00
योग : (घ)		50500.00
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
	80	1150.00
	83	5500.00
योग : 2225		6650.00
योग : (ङ)		6650.00
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
	35	150000.00
	42	8000.00
	79	23298.45
	80	1000.00
योग : 2235		182298.45
योग : (छ)		182298.45
योग : ख		334418.11
ग - आर्थिक सेवायें		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप		
2401 - फसल कृषि कर्म		
	81	46.67
	83	1806.23
योग : 2401		1852.90
2403 - पशु पालन		
	15	100000.00
योग : 2403		100000.00
2406 - वानिकी तथा वन्य जीव		
	60	3000.00
योग : 2406		3000.00
योग : (क)		104852.90
(ख) ग्राम विकास		
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
	14	1.00
योग : 2515		1.00
योग : (ख)		1.00
(ङ) उर्जा		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
2801 - बिजली	09	609519.00
योग : 2801		609519.00
योग : (ड)		609519.00
(च) उद्योग तथा खनिज		
2852 - उद्योग	07	4012.23
योग : 2852		4012.23
2853 - अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	04	15.00
योग : 2853		15.00
योग : (च)		4027.23
(छ) परिवहन		
3053 - नागर विमानन	38	101.90
योग : 3053		101.90
3054 - सड़क तथा सेतु	13	1995.21
	58	60000.00
योग : 3054		61995.21
योग : (छ)		62097.11
(ज) सामान्य आर्थिक सेवायें		
3452 - पर्यटन	44	2050.00
योग : 3452		2050.00
योग : (ज)		2050.00
योग : ग -		782547.24
राजस्व लेखा		1378754.98
पूँजीगत लेखा		
क - सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	26	2748.40
योग : 4055		2748.40
4058 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	08	750.00
योग : 4058		750.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	20	1500.00
	28	200.00
	43	1.00
	63	350.00
	67	462.00
योग : 4059		2513.00
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	61	13.00
	67	283.90
	78	50.00
योग : 4070		346.90
4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	09	80.00
	योग : 4075	
योग : क -		6438.30
ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	47	1000.00
	73	12458.31
	81	1432.37
	83	2764.81
योग : 4202		17655.49
योग : (क)		17655.49
(ख) स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पूंजीगत लेखा		
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	76	239.12
	योग : 4210	
योग : (ख)		239.12
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा		
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय	13	22110.66
	81	157.08
	83	5396.16
योग : 4216		27663.90
योग : (ग)		27663.90
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा		

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
4225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	80	100.00
	81	3.00
योग : 4225		103.00
योग : (ङ)		103.00
योग : ख -		45661.51
ग - आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा		
4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	11	2.00
योग : 4401		2.00
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	15	100.00
योग : 4403		100.00
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	60	8500.00
योग : 4406		8500.00
योग : (क)		8602.00
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा		
4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	14	45400.00
योग : 4515		45400.00
योग : (ख)		45400.00
(ङ) उर्जा का पूंजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	09	249053.00
योग : 4801		249053.00
योग : (ङ)		249053.00
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		
4853 - अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	04	55.00
योग : 4853		55.00
योग : (च)		55.00
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	58	20000.00
योग : 5054		20000.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : (छ)	20000.00
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	44	20200.00
	योग : 5452	20200.00
	योग : (ज)	20200.00
	योग : ग -	343310.00
	पूंजीगत लेखा	395409.81
च - कर्ज तथा उधार		
6075 - विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	21	3232.00
	योग : 6075	3232.00
6210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज	67	15.00
	68	60.00
	योग : 6210	75.00
6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज	37	5000.00
	83	4000.00
	योग : 6215	9000.00
7610 - सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	61	100.00
	योग : 7610	100.00
	च - कर्ज तथा उधार	12407.00
	योग : समेकत निधि	1786571.79

अनुदान संख्या 004

उद्योग विभाग (खानों और खनिज)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	8222.20	260.00	8482.20
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	15.00	55.00	70.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	8237.20	315.00	8552.20
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2853 - अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग

02 - खानों का विनियमन तथा विकास

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - खनन प्रशासन की योजना

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

15.00

योग : 03

15.00

योग : 001

15.00

योग : 02

15.00

योग : 2853

15.00

योग : राजस्व लेखा

15.00

पूँजी लेखा-----

4853 - अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय

01 - खनिज अन्वेषण तथा विकास

800 - अन्य व्यय

04 - खनन विकास की योजनायें

0401 - एकमुश्त व्यवस्था

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

55.00

	धनराशि
योग : 0401	55.00
योग : 04	55.00
योग : 800	55.00
योग : 01	55.00
योग : 4853	55.00
योग : पूँजी लेखा	55.00
योग : अनुपूरक	70.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. ई-प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर MSTC को भुगतान एवं VTS लागू करने हेतु रुपये 1500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. RFID युक्त चेक गेट्स एवं माईन मित्र पोर्टल के संचालन हेतु रुपये 5500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किशत के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-16 व 2-5 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	993415.13	1196144.26	2189559.39
	भारित
प्रथम किशत	मतदेय	144235.33	612395.39	756630.72
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	4012.23	...	4012.23
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1141662.69	1808539.65	2950202.34
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2852 - उद्योग

07 - दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग

202 - इलेक्ट्रानिक्स

08 - मुख्यमंत्री कार्यालय के वेब पोर्टल्स का अनुरक्षण

42 - अन्य व्यय

12.23

योग : 08

12.23

योग : 202

12.23

योग : 07

12.23

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

28 - उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022

42 - अन्य व्यय

3000.00

योग : 28

3000.00

34 - विश्व आर्थिक फोरम की बैठक

42 - अन्य व्यय

1000.00

योग : 34

1000.00

योग : 800

4000.00

	धनराशि
योग : 80	4000.00
योग : 2852	4012.23
योग : राजस्व लेखा	4012.23
योग : अनुपूरक	4012.23

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मुख्यमंत्री कार्यालय के वेब पोर्टल्स के अनुरक्षण हेतु रूपये 1223000 की आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु रूपये 300000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. विश्व आर्थिक फोरम की बैठक हेतु रूपये 100000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 008

उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-9 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	26800.45	3085.95	29886.40
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	750.00	750.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	26800.45	3835.95	30636.40
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4058 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

103 - सरकारी मुद्रणालय

03 - सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

700.00

योग : 03

700.00

06 - राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

50.00

योग : 06

50.00

योग : 103

750.00

योग : 4058

750.00

योग : पूँजी लेखा

750.00

योग : अनुपूरक

750.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सरकारी मुद्रणालयों तथा राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ में मशीनों तथा उपकरणों एवं संयंत्रों के क्रय हेतु रुपये 75000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-14 व 6-7 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2985420.09	1976910.37	4962330.46
	भारित	251859.23	440583.96	692443.19
प्रथम किश्त	मतदेय	149580.00	50420.00	200000.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	609519.00	249133.00	858652.00
	भारित	75.00	...	75.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3744519.09	2276463.37	6020982.46
	भारित	251934.23	440583.96	692518.19

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2045 - वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

103 - संग्रहण प्रभार- विद्युत शुल्क

04 - उ.प्र.इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गठन हेतु एकमुश्त व्यवस्था

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

मतदेय

--

भारित

75.00

योग : 04

मतदेय

--

भारित

75.00

योग : 103

मतदेय

--

भारित

75.00

योग : 2045

मतदेय

--

भारित

75.00

2801 - बिजली

05 - संचरण एवं वितरण

800 - अन्य व्यय

04 - उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. को क्षतिपूर्ति अनुदान

27 - सब्सिडी

228000.00

योग : 04

228000.00

08 - निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु यू.पी.पी.सी.एल.को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

81519.00

		धनराशि
योग : 08		81519.00
09 - रिचैम्पड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		300000.00
योग : 09		300000.00
योग : 800		609519.00
योग : 05		609519.00
योग : 2801		609519.00
योग : राजस्व लेखा		609519.00
		मतदेय
		भारित
		75.00
पूँजी लेखा-----		
4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
800 - अन्य व्यय		
03 - विद्युत सुरक्षा निदेशालय		
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय		80.00
योग : 03		80.00
योग : 800		80.00
योग : 4075		80.00
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
05 - संचरण तथा वितरण		
190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश		
08 - उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी		
30 - निवेश/ऋण		120000.00
योग : 08		120000.00
19 - ग्रीष्मकाल (माह अप्रैल, 2024 से सितम्बर, 2024 तक) में प्रदेश में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु अंशपूँजी		
30 - निवेश/ऋण		52518.00
योग : 19		52518.00
22 - उ.प्र. रिन्यूबल एण्ड ई.वी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. में यू.पी.पी.सी.एल. के निवेश हेतु अंशपूँजी		
30 - निवेश/ऋण		500.00
योग : 22		500.00
89 - केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का संगत राज्यांश		
8907 - हानियों कमी हेतु कराये जाने वाले कार्य हेतु अंशपूँजी (राज्यांश)		
30 - निवेश/ऋण		71035.00

		धनराशि
योग : 8907		71035.00
8908 - स्मार्ट मीटरिंग हेतु यू0 पी0 सी0 एल 0 को अंशपूजी (राज्यांश)		
30 - निवेश/ऋण		5000.00
योग : 8908		5000.00
योग : 89		76035.00
योग : 190		249053.00
योग : 05		249053.00
योग : 4801		249053.00
योग : पूँजी लेखा		249133.00
योग : अनुपूरक		858652.00
		मतदेय
		भारित
		75.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु रुपये 7500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. वर्तमान वित्तीय वर्ष में यू.पी.पी.सी.एल. को राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु रुपये 22800000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रदेश के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत छूट के साथ विद्युत आपूर्ति हेतु यू.पी.पी.सी.एल.को सब्सिडी के भुगतान हेतु रुपये 8151900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. आर.डी.एस.एस. के अन्तर्गत डिस्कॉम्स की हानियों की फण्डिंग हेतु रुपये 30000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. विद्युत सुरक्षा निदेशालय के 07 निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु रुपये 8000000 की आवश्यकता ।
6. विद्युत वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु रुपये 12000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. वर्तमान वित्तीय वर्ष के ग्रीष्मकाल के दौरान अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु यू.पी.पी.सी.एल. तथा क्रय की गई विद्युत के मूल्य के सापेक्ष लंबित राशि के भुगतान हेतु रुपये 5251800000 की आवश्यकता ।
8. प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिये उ.प्र. रीन्यूएबल एण्ड ई.वी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. में अंशपूजी विनियोजन हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।
9. आर.डी.एस.एस. के अन्तर्गत हानियों में कमी लाये जाने वाले कार्यों हेतु डिस्कॉम्स में अंशपूजी विनियोजन हेतु रुपये 7103500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. आर.डी.एस.एस. के अन्तर्गत प्रदेश में स्मार्ट मीटर्स की स्थापना हेतु डिस्कॉम्स में अंशपूजी विनियोजन हेतु रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-58 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	800524.74	77418.70	877943.44
	भारित	20.05	...	20.05
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	2.00	2.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	800524.74	77420.70	877945.44
	भारित	20.05	...	20.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

103 - बीज

04 - आधारिक बीज भंडार

0404 - उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना

24 - वृहत् निर्माण कार्य 1.00

42 - अन्य व्यय 1.00

योग : 0404 2.00

योग : 04 2.00

योग : 103 2.00

योग : 4401 2.00

योग : पूँजी लेखा 2.00

योग : अनुपूरक 2.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास की परियोजना हेतु रुपये 200000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 013

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-19 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	607388.94	1475364.18	2082753.12
	भारित	25.00	...	25.00
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1995.21	22110.66	24105.87
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	609384.15	1497474.84	2106858.99
	भारित	25.00	...	25.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3054 - सड़क तथा सेतु

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

105 - रख-रखाव तथा मरम्मत

03 - उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

0301 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण

29 - अनुरक्षण

1995.21

योग : 0301

1995.21

योग : 03

1995.21

योग : 105

1995.21

योग : 04

1995.21

योग : 3054

1995.21

योग : राजस्व लेखा

1995.21

पूँजी लेखा-----

4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय

03 - ग्रामीण आवास

800 - अन्य व्यय

06 - मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	धनराशि
	22110.66
योग : 06	22110.66
योग : 800	22110.66
योग : 03	22110.66
योग : 4216	22110.66
योग : पूँजी लेखा	22110.66
योग : अनुपूरक	24105.87

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों के अनुरक्षण हेतु रुपये 199521000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु रुपये 2211066000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-16 व 8 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1680415.36	50135.00	1730550.36
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	...	10000.00	10000.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1.00	45400.00	45401.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1680416.36	105535.00	1785951.36
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

101 - पंचायती राज

05 - पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना

42 - अन्य व्यय

1.00

योग : 05

1.00

योग : 101

1.00

योग : 2515

1.00

योग : राजस्व लेखा

1.00

पूँजी लेखा-----

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

101 - पंचायती राज

04 - भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूँजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता

0401 - ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना

42 - अन्य व्यय

45400.00

योग : 0401

45400.00

	धनराशि
योग : 04	45400.00
योग : 101	45400.00
योग : 4515	45400.00
योग : पूँजी लेखा	45400.00
योग : अनुपूरक	45401.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कम आबादी वाली ग्राम पंचायत के लिये प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना हेतु रूपये 100000 की आवश्यकता ।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु रूपये 4540000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 015
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	313265.72	32847.22	346112.94
	भारित	13.79	...	13.79
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	100000.00	100.00	100100.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	413265.72	32947.22	446212.94
	भारित	13.79	...	13.79

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2403 - पशु पालन

102 - पशु तथा भैंस विकास

27 - छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

100000.00

योग : 27

100000.00

योग : 102

100000.00

योग : 2403

100000.00

योग : राजस्व लेखा

100000.00

पूँजी लेखा-----

4403 - पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

101 - पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

19 - पशु जैविक औषधि संस्थान

24 - बृहत् निर्माण कार्य

100.00

योग : 19

100.00

योग : 101

100.00

योग : 4403

100.00

योग : पूँजी लेखा

100.00

योग : अनुपूरक

100100.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु रुपये 10000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

2. पशु जैविक औषधि संस्थान बादशाहबाग, लखनऊ हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 020

कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-7 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	13511.25	500.00	14011.25
	भारित	13597.18	500.65	14097.83
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1500.00	1500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	13511.25	2000.00	15511.25
	भारित	13597.18	500.65	14097.83

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

04 - उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज परिसर में बहुमंजिला प्रशासनिक भवन का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

1500.00

योग : 04 1500.00

योग : 051 1500.00

योग : 01 1500.00

योग : 4059 1500.00

योग : पूँजी लेखा 1500.00

योग : अनुपूरक 1500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज परिसर में बहुमंजिला प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु रूपये 150000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 021

खाद्य तथा रसद विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-15 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	290721.97	1935587.09	2226309.06
	भारित	6.00	0.50	6.50
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	3232.00	3232.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	290721.97	1938819.09	2229541.06
	भारित	6.00	0.50	6.50

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

6075 - विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज

800 - अन्य कर्ज

03 - उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को कर्ज

30 - निवेश/ऋण

3232.00

योग : 03 3232.00

योग : 800 3232.00

योग : 6075 3232.00

योग : पूँजी लेखा 3232.00

योग : अनुपूरक 3232.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक देयों के भुगतान के लिये कर्ज हेतु रूपये 323200000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-53 व 9-10 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3429507.03	525069.91	3954576.94
	भारित	500.00	...	500.00
प्रथम किश्त	मतदेय	187.50	1879.00	2066.50
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2050.00	2748.40	4798.40
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3431744.53	529697.31	3961441.84
	भारित	500.00	...	500.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2055 - पुलिस

800 - अन्य व्यय

17 - महाकुम्भ मेला-2025

23 - गुप्त सेवा व्यय

500.00

योग : 17

500.00

योग : 800

500.00

योग : 2055

500.00

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

800 - अन्य व्यय

03 - पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

23 - गुप्त सेवा व्यय

1550.00

योग : 03

1550.00

योग : 800

1550.00

योग : 2070

1550.00

योग : राजस्व लेखा

2050.00

पूँजी लेखा-----

4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

207 - राज्य पुलिस

25 - महाकुम्भ मेला-2025

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय

	धनराशि
	2748.40
योग : 25	2748.40
योग : 207	2748.40
योग : 4055	2748.40
योग : पूँजी लेखा	2748.40
योग : अनुपूरक	4798.40

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. महाकुम्भ मेला-2025 के लिये गुप्त सेवा व्यय हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।
2. उ.प्र. पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के गुप्त सेवा व्यय में वृद्धि हेतु रुपये 155000000 की आवश्यकता ।
3. वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाकुम्भ मेला-2025 के लिये वाहनों के क्रय हेतु उ.प्र. आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 274840000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 028

गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-10 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	47378.38	575.00	47953.38
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	200.00	200.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	47378.38	775.00	48153.38
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय

24 - वृहत् निर्माण कार्य

200.00

योग : 03

200.00

योग : 001

200.00

योग : 80

200.00

योग : 4059

200.00

योग : पूँजी लेखा

200.00

योग : अनुपूरक

200.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. श्रावस्ती में अभियोजन कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रुपये 20000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-56 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	727440.87	401329.00	1128769.87
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	37458.00	...	37458.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	764898.87	401329.00	1166227.87
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - एलोपैथी

03 - शिक्षा

0308 - कैसर संस्थान, लखनऊ

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

500.00

योग : 0308

500.00

0309 - संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1500.00

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

6000.00

योग : 0309

7500.00

0325 - डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2000.00

योग : 0325

2000.00

0328 - सरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा

	धनराशि
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	5500.00
योग : 0328	5500.00
0350 - मेडिकल कालेज, प्रतापगढ	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	700.00
योग : 0350	700.00
0366 - किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	17000.00
योग : 0366	17000.00
0371 - चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	400.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	586.00
योग : 0371	986.00
0381 - मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1488.00
योग : 0381	1488.00
0383 - मेडिकल कालेज, अयोध्या	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1000.00
योग : 0383	1000.00
0384 - मेडिकल कालेज, बहराइच	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	784.00
योग : 0384	784.00
योग : 03	37458.00
योग : 105	37458.00
योग : 05	37458.00

	धनराशि
योग : 2210	37458.00
योग : राजस्व लेखा	37458.00
योग : अनुपूरक	37458.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कैसर संस्थान, लखनऊ के लिये गैर-वेतन मद हेतु अनुदान के लिये रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ के लिये गैर-वेतन मद हेतु अनुदान के लिये रुपये 15,00,00,000 तथा वेतन मद अनुदान हेतु रुपये 60,00,00,000 अर्थात् कुल रुपये 750000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ के लिये गैर-वेतन मद हेतु अनुदान के लिये रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. सरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा के लिये वेतन मद हेतु अनुदान के लिये रुपये हेतु रुपये 550000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. मेडिकल कालेज, प्रतापगढ के लिये वेतन मद हेतु अनुदान के लिये रुपये 70000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के लिये वेतन मद हेतु अनुदान के लिये रुपये 1700000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना के लिये गैर-वेतन मद हेतु अनुदान के लिये रुपये 4,00,00,000 तथा वेतन मद अनुदान हेतु रुपये 5,86,00,000 अर्थात् कुल रुपये 98600000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद के लिये वेतन मद हेतु अनुदान के लिये रुपये 148800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. मेडिकल कालेज, अयोध्या के लिये वेतन मद हेतु अनुदान के लिये रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. मेडिकल कालेज, बहराइच के लिये वेतन मद हेतु अनुदान के लिये रुपये 78400000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 035

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-28 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1080471.17	238600.83	1319072.00
	भारित	40.00	...	40.00
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	150000.00	...	150000.00
	भारित	9227.95	...	9227.95
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1230471.17	238600.83	1469072.00
	भारित	9267.95	...	9267.95

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2049 - ब्याज अदायगियां

60 - अन्य दायित्वों पर ब्याज

701 - विविध

02 - 15 वें वित्त आयोग की धनराशि के अन्तरण में विलम्ब पर देय ब्याज

32 - ब्याज/लाभांश

	मतदेय	--
	भारित	9227.95
योग : 02	मतदेय	--
	भारित	9227.95
योग : 701	मतदेय	--
	भारित	9227.95
योग : 60	मतदेय	--
	भारित	9227.95
योग : 2049	मतदेय	--
	भारित	9227.95

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

110 - अन्य बीमा योजनायें

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901 - आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन

42 - अन्य व्यय

150000.00

		धनराशि
योग : 8901		150000.00
योग : 89		150000.00
योग : 110		150000.00
योग : 60		150000.00
योग : 2235		150000.00
योग : राजस्व लेखा	मतदेय	150000.00
	भारित	9227.95
योग : अनुपूरक	मतदेय	150000.00
	भारित	9227.95

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. 15 वें वित्त आयोग की धनराशि के अन्तरण में विलम्ब पर देय ब्याज हेतु रूपये 922795000 की आवश्यकता ।
2. आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु रूपये 15000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 036

चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-14 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	125745.38	11015.00	136760.38
	भारित	2.00	...	2.00
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3000.00	...	3000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	128745.38	11015.00	139760.38
	भारित	2.00	...	2.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

06 - लोक स्वास्थ्य सेवायें

001 - निदेशन तथा प्रशासन

04 - खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना

12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

3000.00

योग : 04

3000.00

योग : 001

3000.00

योग : 06

3000.00

योग : 2210

3000.00

योग : राजस्व लेखा

3000.00

योग : अनुपूरक

3000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश में नवनिर्मित प्रयोगशालाओं एवं मंडलीय कार्यालयों तथा लैब में फर्नीचर/उपकरण हेतु रुपये 300000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-28 व 13-14 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2127636.81	275100.00	2402736.81
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	65000.00	...	65000.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2.00	5000.00	5002.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2192638.81	280100.00	2472738.81
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - नगर निगम, लखनऊ में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद शूटिंग रेंज एवं बहुदेशीय खेल परिसर का निर्माण

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 1.00

योग : 04 1.00

05 - नगर निगमों के उत्कृष्ट नवीन कार्यालय भवन का निर्माण

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 1.00

योग : 05 1.00

योग : 191 2.00

योग : 80 2.00

योग : 2217 2.00

योग : राजस्व लेखा 2.00

पूँजी लेखा-----

6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज

02 - मल-जल तथा सफाई

191 - नगर निगमों को सहायता

	धनराशि
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना	
30 - निवेश/ऋण	1000.00
योग : 05	1000.00
योग : 191	1000.00
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता	
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना	
30 - निवेश/ऋण	1500.00
योग : 05	1500.00
योग : 192	1500.00
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता	
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना	
30 - निवेश/ऋण	2500.00
योग : 05	2500.00
योग : 193	2500.00
योग : 02	5000.00
योग : 6215	5000.00
योग : पूँजी लेखा	5000.00
योग : अनुपूरक	5002.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. नगर निगम, लखनऊ में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद शूटिंग रेंज एवं बहुदेशीय खेल परिसर के निर्माण हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।
2. नगर निगमों के उत्कृष्ट नवीन कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।
3. पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना हेतु रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 038

नागरिक उड्डयन विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	13815.71	263644.00	277459.71
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	101.90	...	101.90
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	13917.61	263644.00	277561.61
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3053 - नागर विमानन

02 - विमान पत्तन

102 - हवाई अड्डा

03 - हवाई पट्टियों का अनुरक्षण

01 - वेतन	62.95
03 - मंहगाई भत्ता	35.00
06 - अन्य भत्ते	0.40
49 - चिकित्सा व्यय	0.75
55 - मकान किराया भत्ता	2.80

योग : 03 101.90

योग : 102 101.90

योग : 02 101.90

योग : 3053 101.90

योग : राजस्व लेखा 101.90

योग : अनुपूरक 101.90

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश में विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों हेतु रूपये 10190000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 039

भाषा विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	5331.67	...	5331.67
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	105.00	...	105.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	5436.67	...	5436.67
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

05 - भाषा विकास

102 - आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का सम्वर्धन

07 - स्व.फरखुद्दीन अली अहमद स्मारक समिति को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

55.00

योग : 07

55.00

योग : 102

55.00

योग : 05

55.00

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

03 - उर्दू माध्यम अथवा उर्दू विषय के साथ अखिल भारतीय सेवाओं / राज्य स्तरीय सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये कोचिंग हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

50.00

योग : 03

50.00

योग : 800

50.00

योग : 80

50.00

	धनराशि
योग : 2202	105.00
योग : राजस्व लेखा	105.00
योग : अनुपूरक	105.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. स्व.फखरुद्दीन अली अहमद स्मारक समिति को अनुदान हेतु रुपये 5500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उर्दू माध्यम अथवा उर्दू विषय के साथ अखिल भारतीय सेवाओं / राज्य स्तरीय सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये कोचिंग हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को अनुदान हेतु रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 042

न्याय विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-36 व 15-16 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	436371.08	348230.00	784601.08
	भारित	97553.85	750.00	98303.85
प्रथम किश्त	मतदेय	4954.80	...	4954.80
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	8000.00	...	8000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	449325.88	348230.00	797555.88
	भारित	97553.85	750.00	98303.85

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

200 - अन्य कार्यक्रम

12 - उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

8000.00

योग : 12

8000.00

योग : 200

8000.00

योग : 60

8000.00

योग : 2235

8000.00

योग : राजस्व लेखा

8000.00

योग : अनुपूरक

8000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु रूपये 800000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 043

परिवहन विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-12 व 17-18 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	61479.81	70681.37	132161.18
	भारित	0.01	...	0.01
प्रथम किश्त	मतदेय	564.00	100000.00	100564.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1.00	1.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	62043.81	170682.37	232726.18
	भारित	0.01	...	0.01

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

20 - सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में "सारथी हॉल " सहित भवन निर्माण

60 - भूमि क्रय

1.00

योग : 20

1.00

योग : 051

1.00

योग : 01

1.00

योग : 4059

1.00

योग : पूँजी लेखा

1.00

योग : अनुपूरक

1.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

- जनपद गौतमबुद्ध नगर में सारथी हाल सहित कार्यालय भवन निर्माण के लिये भूमि के क्रय हेतु रूपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।

अनुदान संख्या 044

पर्यटन विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-12 व 19-20 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	21622.57	168007.00	189629.57
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	1000.00	5000.00	6000.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2050.00	20200.00	22250.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	24672.57	193207.00	217879.57
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3452 - पर्यटन

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

04 - प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय

42 - अन्य व्यय

50.00

योग : 04

50.00

08 - अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेंटस का आयोजन

42 - अन्य व्यय

2000.00

योग : 08

2000.00

योग : 800

2050.00

योग : 80

2050.00

योग : 3452

2050.00

योग : राजस्व लेखा

2050.00

पूँजी लेखा-----

5452 - पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

104 - संवर्धन तथा प्रचार

	धनराशि
08 - मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	10000.00
योग : 08	10000.00
22 - बौद्ध परिपथ का समेकित पर्यटन विकास	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	5300.00
योग : 22	5300.00
44 - मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बटेस्वर-आगरा व अन्य स्थलों का विकास	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	4900.00
योग : 44	4900.00
योग : 104	20200.00
योग : 80	20200.00
योग : 5452	20200.00
योग : पूँजी लेखा	20200.00
योग : अनुपूरक	22250.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. महाकुम्भ, 2025 प्रयागराज में प्रदर्शनी पंडाल हेतु रुपये 5000000 की आवश्यकता ।
2. महाकुम्भ, 2025 प्रयागराज में कार्यक्रमों एवं आयोजनों हेतु रुपये 200000000 की आवश्यकता ।
3. मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास हेतु रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. बौद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन विकास हेतु रुपये 530000000 की आवश्यकता ।
5. मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बटेस्वर-आगरा व अन्य स्थलों के विकास हेतु रुपये 490000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 046

प्रशासनिक सुधार विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-7 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3052.37	69.20	3121.57
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	120.00	...	120.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3172.37	69.20	3241.57
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

800 - अन्य व्यय

03 - उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

15.00

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

105.00

योग : 03

120.00

योग : 800

120.00

योग : 2070

120.00

योग : राजस्व लेखा

120.00

योग : अनुपूरक

120.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में कम्प्यूटर सम्बन्धी व्यय तथा आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु रूपये 12000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 047

प्राविधिक शिक्षा विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-21 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	91176.15	21588.04	112764.19
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	413.00	1000.00	1413.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	91589.15	22588.04	114177.19
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2203 - तकनीकी शिक्षा

103 - तकनीकी विद्यालय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102 - कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पालीटेकनिक (के.100/रा.0-के.)

42 - अन्य व्यय

294.00

योग : 0102

294.00

योग : 01

294.00

योग : 103

294.00

104 - अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102 - सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थायें (के.100/रा.0-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

119.00

योग : 0102

119.00

योग : 01

119.00

योग : 104

119.00

	धनराशि
योग : 2203	413.00
योग : राजस्व लेखा	413.00

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

02 - तकनीकी शिक्षा

104 - बहुशिल्प

60 - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से आच्छादित राजकीय पालीटेक्निक के अवशेष निर्माण कार्यो को पूर्ण कराया जाना

24 - वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

योग : 60 1000.00

योग : 104 1000.00

योग : 02 1000.00

योग : 4202 1000.00

योग : पूँजी लेखा 1000.00

योग : अनुपूरक 1413.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलीटेक्नीक योजनान्तर्गत 42 राजकीय पॉलीटेक्नीक संस्थानों हेतु रुपये 29400000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. 17 अनुदानित पॉलीटेक्नीक संस्थानों हेतु रुपये 11900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से आच्छादित राजकीय पालीटेक्निक के अवशेष निर्माण कार्यो को पूर्ण कराया जाना हेतु रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 055

लोक निर्माण विभाग (भवन)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	16535.00	14493.60	31028.60
	भारित	762.00	581.00	1343.00
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	500.00	...	500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	17035.00	14493.60	31528.60
	भारित	762.00	581.00	1343.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2059 - लोक निर्माण कार्य

80 - सामान्य

053 - रखरखाव तथा मरम्मत

06 - सर्किट हाऊस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत

17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व

500.00

योग : 06

500.00

योग : 053

500.00

योग : 80

500.00

योग : 2059

500.00

योग : राजस्व लेखा

500.00

योग : अनुपूरक

500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. अयोध्या एवं आगरा क्षेत्र में कैटोनमेंट बोर्ड के सर्विस चार्ज के भुगतान हेतु रूपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 1-15 व 26-27 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	967320.29	1919398.00	2886718.29
	भारित	12.18	3000.00	3012.18
प्रथम किश्त	मतदेय	...	4.00	4.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	60000.00	20000.00	80000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1027320.29	1939402.00	2966722.29
	भारित	12.18	3000.00	3012.18

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3054 - सड़क तथा सेतु

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

03 - अनुरक्षण एवं मरम्मत

0301 - प्रदेश के मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य

29 - अनुरक्षण

20000.00

योग : 0301

20000.00

0332 - प्रदेश के ग्रामीण मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य

29 - अनुरक्षण

20000.00

योग : 0332

20000.00

योग : 03

40000.00

05 - राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण

29 - अनुरक्षण

10000.00

योग : 05

10000.00

योग : 337

50000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश के मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रदेश के ग्रामीण मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण हेतु रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. राज्य सड़क निधि को अन्तरण हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण / सुदृढीकरण / चौड़ीकरण हेतु रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. राज्य सड़क निधि को अन्तरण हेतु पूँजीगत पक्ष में रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-30 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	99109.12	102469.13	201578.25
	भारित	13126.71	...	13126.71
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3000.00	8500.00	11500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	102109.12	110969.13	213078.25
	भारित	13126.71	...	13126.71

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2406 - वानिकी तथा वन्य जीव

04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास

103 - राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण

03 - राज्य प्राधिकरण

0304 - वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य

42 - अन्य व्यय

2394.32

योग : 0304

2394.32

0306 - अन्य

42 - अन्य व्यय

605.68

योग : 0306

605.68

योग : 03

3000.00

योग : 103

3000.00

योग : 04

3000.00

योग : 2406

3000.00

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	3000.00
<hr/>	
पूँजी लेखा-----	
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	
01 - वानिकी	
102 - समाज तथा फार्म वानिकी	
03 - समाजिक वानिकी (जिला योजना)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	7500.00
योग : 03	7500.00
योग : 102	7500.00
योग : 01	7500.00
<hr/>	
02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
111 - चिडिया घर	
09 - गोरखपुर में चिडियाघर की स्थापना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
योग : 09	1000.00
योग : 111	1000.00
योग : 02	1000.00
योग : 4406	8500.00
योग : पूँजी लेखा	8500.00
योग : अनुपूरक	11500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य प्रतिकरात्मक वनारोपण हेतु रूपये 300000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. समाजिक वानिकी (जिला योजना) हेतु रूपये 750000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. गोरखपुर में चिडियाघर की स्थापना हेतु रूपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 061

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-58 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2521101.40	16500.00	2537601.40
	भारित	5309349.58	3535724.95	8845074.53
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	43400.00	113.00	43513.00
	भारित	200000.00	...	200000.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2564501.40	16613.00	2581114.40
	भारित	5509349.58	3535724.95	9045074.53

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2048 - ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन

101 - सिंकिंग फण्ड

04 - कॉन्सालिडेटेड सिंकिंग फण्ड

42 - अन्य व्यय

मतदेय

--

भारित

200000.00

योग : 04

मतदेय

--

भारित

200000.00

योग : 101

मतदेय

--

भारित

200000.00

योग : 2048

मतदेय

--

भारित

200000.00

2075 - विविध सामान्य सेवायें

797 - आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण

03 - गारण्टी रिडम्प्शन फण्ड

48 - अन्तर्लेखा संक्रमण

43400.00

योग : 03

43400.00

योग : 797

43400.00

योग : 2075

43400.00

		धनराशि
योग : राजस्व लेखा	मतदेय	43400.00
	भारित	200000.00
<hr/>		
पूँजी लेखा-----		
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
800 - अन्य व्यय		
04 - वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ		
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय		13.00
<hr/>		
योग : 04		13.00
<hr/>		
योग : 800		13.00
<hr/>		
योग : 4070		13.00
<hr/>		
7610 - सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि		
201 - भवन निर्माण अग्रिम		
03 - अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भवन क्रय, निर्माण/मरम्मत या विस्तार के लिये अग्रिम, 30-निवेश/ऋण		
30 - निवेश/ऋण		100.00
<hr/>		
योग : 03		100.00
<hr/>		
योग : 201		100.00
<hr/>		
योग : 7610		100.00
<hr/>		
योग : पूँजी लेखा		113.00
<hr/>		
योग : अनुपूरक	मतदेय	43513.00
	भारित	200000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश की संहत ऋण मोचन निधि के अन्तरण हेतु रूपये 20000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रदेश की गारंटी मोचन निधि में अन्तरण हेतु रूपये 4340000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ में नये वाहन के क्रय हेतु रूपये 1300000 की आवश्यकता ।
4. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को गृह निर्माण/ क्रय अग्रिम हेतु रूपये 10000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 063

वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-7 व 28-29 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	35243.60	272.00	35515.60
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	109.50	8.50	118.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	350.00	350.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	35353.10	630.50	35983.60
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

03 - प्रदेश के विभिन्न कोषागारों / उपकोषागारों में विभिन्न निर्माण / नवीनीकरण कार्य

24 - वृहत् निर्माण कार्य

350.00

योग : 03

350.00

योग : 051

350.00

योग : 01

350.00

योग : 4059

350.00

योग : पूँजी लेखा

350.00

योग : अनुपूरक

350.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश के विभिन्न कोषागारों / उपकोषागारों में विभिन्न निर्माण / नवीनीकरण कार्य हेतु रुपये 35000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 067

विधान परिषद् सचिवालय

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-8 व 31-32 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	8435.40	1343.64	9779.04
	भारित	120.55	...	120.55
प्रथम किश्त	मतदेय	20.00	889.56	909.56
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	196.68	705.90	902.58
	भारित	...	55.00	55.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	8652.08	2939.10	11591.18
	भारित	120.55	55.00	175.55

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02 - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

102 - विधान परिषद्

03 - विधान परिषद्

47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय

196.68

योग : 03

196.68

योग : 102

196.68

योग : 02

196.68

योग : 2011

196.68

योग : राजस्व लेखा

196.68

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

03 - विधान परिषद् परिसर में सिविल एवं विद्युत संबंधी कार्य

24 - बृहत् निर्माण कार्य

462.00

	धनराशि
योग : 03	462.00
योग : 800	462.00
योग : 80	462.00
योग : 4059	462.00

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0101 - विधान परिषद सचिवालय में "ई-विधान" व्यवस्था (के.60/रा.40 - के.)

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	56.12
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	62.02

योग : 0101 118.14

योग : 01 118.14

05 - विधान परिषद

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	मतदेय	32.00
	भारित	55.00
योग : 05	मतदेय	32.00
	भारित	55.00

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901 - विधान परिषद सचिवालय में "ई-विधान" व्यवस्था

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	37.41
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	41.35

योग : 8901 78.76

योग : 89 78.76

योग : 800 मतदेय 228.90

भारित 55.00

योग : 4070 मतदेय 228.90

भारित 55.00

6210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज

80 - सामान्य

800 - अन्य कर्ज

03 - विधान परिषद के सदस्यों की चिकित्सा हेतु रिवाल्विंग फण्ड

		धनराशि
		15.00
योग : 03		15.00
योग : 800		15.00
योग : 80		15.00
योग : 6210		15.00
योग : पूँजी लेखा	मतदेय	705.90
	भारित	55.00
योग : अनुपूरक	मतदेय	902.58
	भारित	55.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उ.प्र. विधान परिषद् सदन की कार्यवाहियों के आटोमेशन/डिजीटाईजेशन हेतु विकसित साफ्टवेयर के वार्षिक अनुरक्षण के लिये रुपये 19668000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. विधान परिषद् परिसर में रिक्त स्थल, गैलरी एवं सभा मण्डप में विभिन्न सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार तथा मा. सदस्यों के लिये कुर्सियों की स्थापना के लिए सिविल/विद्युत संबंधी कार्य हेतु रुपये 46200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. ई-विधान व्यवस्था के अन्तर्गत नेवा परियोजना सम्बन्धी कार्यों के लिये केन्द्रांश हेतु रुपये 1,18,14,000 तथा राज्यांश हेतु रुपये 78,76,000 अर्थात् कुल रुपये 19690000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. माननीय सभापति, विधान परिषद् के प्रयोगार्थ प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन के क्रय हेतु रुपये 5500000 की आवश्यकता ।
5. विधान परिषद् की विभिन्न समितियों के सभापति के प्रयोगार्थ प्रतिस्थानी पूल वाहन के क्रय हेतु रुपये 3200000 की आवश्यकता ।
6. विधान परिषद् सदस्यों की चिकित्सा हेतु रिवाल्विंग फण्ड में वृद्धि हेतु रुपये 1500000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-8 व 33-34 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	28427.04	6301.45	34728.49
	भारित	399.14	55.00	454.14
प्रथम किश्त	मतदेय	...	768.86	768.86
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	60.00	60.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	28427.04	7130.31	35557.35
	भारित	399.14	55.00	454.14

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

6210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज

80 - सामान्य

800 - अन्य कर्ज

03 - विधान सभा सदस्यों की चिकित्सा हेतु रिवाल्विंग फण्ड

30 - निवेश/ऋण

60.00

योग : 03

60.00

योग : 800

60.00

योग : 80

60.00

योग : 6210

60.00

योग : पूँजी लेखा

60.00

योग : अनुपूरक

60.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. विधान सभा सदस्यों की चिकित्सा हेतु रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि में वृद्धि हेतु रुपये 6000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 072

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 1-31 व 37-38 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1656589.03	107289.01	1763878.04
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	9562.60	...	9562.60
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2000.00	...	2000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1668151.63	107289.01	1775440.64
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

02 - माध्यमिक शिक्षा

108 - परीक्षाएं

03 - माध्यमिक शिक्षा परिषद

23 - गुण सेवा व्यय

2000.00

योग : 03 2000.00

योग : 108 2000.00

योग : 02 2000.00

योग : 2202 2000.00

योग : राजस्व लेखा 2000.00

योग : अनुपूरक 2000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट परीक्षा के प्रश्न पत्रों की शुचिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद के गुण सेवा व्यय में वृद्धि हेतु रूपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 073

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 1-22 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	437388.08	53801.97	491190.05
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	392.97	12458.31	12851.28
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	437781.05	66260.28	504041.33
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

800 - अन्य व्यय

02 - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

0208 - फैकेल्टी इम्प्रूवमेन्ट (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

175.78

योग : 0208

175.78

योग : 02

175.78

24 - भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में छात्रों को राज्य स्तरीय पुरस्कार, प्रोत्साहन एवं अन्य कार्यक्रम

42 - अन्य व्यय

100.00

योग : 24

100.00

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8903 - फैकेल्टी इम्प्रूवमेन्ट

42 - अन्य व्यय

117.19

योग : 8903

117.19

	धनराशि
योग : 89	117.19
योग : 800	392.97
योग : 03	392.97
योग : 2202	392.97
योग : राजस्व लेखा	392.97

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

203 - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें

0123 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान
(के.60/रा.40-के.)

42 - अन्य व्यय 3867.76

योग : 0123 3867.76

0125 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें
(के.60/रा.40-के.)

42 - अन्य व्यय 1423.59

योग : 0125 1423.59

0126 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें
(के.60/रा.40-के.)

42 - अन्य व्यय 1802.16

योग : 0126 1802.16

योग : 01 7093.51

02 - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

0202 - राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना (के.60/रा.40-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 157.08

योग : 0202 157.08

0203 - राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना (के.60/रा.40-के.)

	धनराशि
24 - वृहत् निर्माण कार्य	224.40
योग : 0203	224.40
योग : 02	381.48
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8902 - राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना	
42 - अन्य व्यय	104.72
योग : 8902	104.72
8903 - राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना	
42 - अन्य व्यय	149.60
योग : 8903	149.60
8923 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान	
42 - अन्य व्यय	2578.50
योग : 8923	2578.50
8925 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें	
42 - अन्य व्यय	949.06
योग : 8925	949.06
8926 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें	
42 - अन्य व्यय	1201.44
योग : 8926	1201.44
योग : 89	4983.32
योग : 203	12458.31
योग : 01	12458.31
योग : 4202	12458.31
योग : पूँजी लेखा	12458.31

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 2,92,97,000 तथा पूँजीगत व्यय हेतु रुपये 6,35,80,000 अर्थात् कुल रुपये 92877000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के जन्मशती वर्ष पर छात्रों को राज्य स्तरीय पुरस्कार, प्रोत्साहन दिये जाने एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रुपये 10000000 की आवश्यकता ।
3. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिये पूँजीगत व्यय हेतु रुपये 1182251000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 076

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-22 व 39-40 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	60935.62	3602.00	64537.62
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	389.03	5314.85	5703.88
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	239.12	239.12
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	61324.65	9155.97	70480.62
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें

102 - कर्मचारी राज्य बीमा योजना

03 - चिकित्सालय

0301 - एलोपैथिक चिकित्सालय

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

59.82

योग : 0301

59.82

योग : 03

59.82

04 - औषधालय

0401 - एलोपैथिक औषधालय

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

179.30

योग : 0401

179.30

योग : 04

179.30

योग : 102

239.12

योग : 01

239.12

	धनराशि
योग : 4210	239.12
योग : पूँजी लेखा	239.12
योग : अनुपूरक	239.12

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सालयों के लिये मशीनें और सज्जा तथा उपकरणों की व्यवस्था हेतु रुपये 5982000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत एलोपैथिक औषधालयों के लिये मशीनें और सज्जा तथा उपकरणों की व्यवस्था हेतु रुपये 17930000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 078

सचिवालय प्रशासन विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	243131.37	520.20	243651.57
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	370.00	50.00	420.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	243501.37	570.20	244071.57
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें

090 - सचिवालय

11 - ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत सचिवालय में कम्प्यूटर लैपटॉप एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों का क्रय

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

340.00

योग : 11

340.00

12 - बायोमैट्रिक्स एवं आधार पर आधारित उपस्थिति प्रणाली

12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

30.00

योग : 12

30.00

योग : 090

370.00

योग : 2052

370.00

योग : राजस्व लेखा

370.00

पूँजी लेखा-----

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

03 - सचिवालय-

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय

50.00

	धनराशि
योग : 03	50.00
योग : 800	50.00
योग : 4070	50.00
योग : पूँजी लेखा	50.00
योग : अनुपूरक	420.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत सचिवालय में कम्प्यूटर लैपटाप एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु रुपये 34000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत "बायोमैट्रिक्स एवं आधार पर आधारित उपस्थिति प्रणाली" L1 RD फिगर प्रिंट डिवाइसेस क्रय किये जाने हेतु रुपये 3000000 की आवश्यकता ।
3. सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत प्रतिस्थापन के रूप में 02 नये वाहन क्रय किये जाने हेतु रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछडा

वर्ग कल्याण)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-21 व 43 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	423777.59	16724.77	440502.36
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	1611.96	...	1611.96
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	23298.45	...	23298.45
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	448688.00	16724.77	465412.77
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

07 - नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगो को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

22433.49

योग : 07

22433.49

14 - विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगो के लिये राजकीय विद्यालयों/ छात्रावासों का संचालन

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

50.00

योग : 14

50.00

32 - कुष्ठवस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

330.96

योग : 32

330.96

योग : 101

22814.45

800 - अन्य व्यय

04 - असहाय विकलांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

484.00

	धनराशि
योग : 04	484.00
योग : 800	484.00
योग : 02	23298.45
योग : 2235	23298.45
योग : राजस्व लेखा	23298.45
योग : अनुपूरक	23298.45

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण-पोषण एवं NPCI द्वारा लाभार्थियों के ऑथेन्टीकेशन के लिये अनुदान हेतु रुपये 2243349000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. विभिन्न श्रेणी के राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों के संचालनार्थ आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. कुष्ठरोगी विकलांग भरण-पोषण एवं NPCI द्वारा लाभार्थियों के ऑथेन्टीकेशन के लिये अनुदान हेतु रुपये 33096000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. असहाय विकलांग व्यक्तियों को कॉम्प्लायर इम्प्लान्ट के लिये रुपये 48400000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 080

समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों
का कल्याण)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-23 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1030559.04	...	1030559.04
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2150.00	100.00	2250.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1032709.04	100.00	1032809.04
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान
को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण

277 - शिक्षा

03 - औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन

29 - अनुरक्षण

100.00

योग : 03

100.00

04 - अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास

12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

1000.00

योग : 04

1000.00

योग : 277

1100.00

योग : 01

1100.00

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

05 - आर्थिक उत्थान

0503 - विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

29 - अनुरक्षण

50.00

	धनराशि
योग : 0503	50.00
योग : 05	50.00
योग : 800	50.00
योग : 80	50.00
योग : 2225	1150.00

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

200 - अन्य कार्यक्रम

06 - सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

	1000.00
योग : 06	1000.00
योग : 200	1000.00
योग : 02	1000.00
योग : 2235	1000.00
योग : राजस्व लेखा	2150.00

पूँजी लेखा-----

4225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण

277 - शिक्षा

03 - औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

	100.00
योग : 03	100.00
योग : 277	100.00
योग : 01	100.00
योग : 4225	100.00
योग : पूँजी लेखा	100.00
योग : अनुपूरक	2250.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आई.टी.आई. व पॉलीटेक्निक में साज-सज्जा एवं फर्नीचर की व्यवस्था हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों के छात्रों को नए फर्नीचर नए गद्दे, तकिया चादर आदि उपलब्ध कराए जाने हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. राजकीय विमुक्त जाति औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र लालगंज, प्रतापगढ़ के अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 5000000 की आवश्यकता ।
4. सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता के लिये रुपये 10000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-43 व 44-45 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	87029.94	76796.79	163826.73
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	...	281.16	281.16
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	11580.35	1592.45	13172.80
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	98610.29	78670.40	177280.69
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

796 - जनजातीय उपयोग

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - समग्र शिक्षा अभियान (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

6500.00

योग : 0103

6500.00

योग : 01

6500.00

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8903 - समग्र शिक्षा अभियान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

5000.00

योग : 8903

5000.00

योग : 89

5000.00

योग : 796

11500.00

योग : 01

11500.00

		धनराशि
03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा		
796 - जनजाति क्षेत्र उपयोजना		
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं		
0101 - फैकेल्टी इमप्रूवमेण्ट (के.60/रा.40-के.)		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		20.21
योग : 0101		20.21
योग : 01		20.21
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश		
8901 - फैकेल्टी इमप्रूवमेण्ट		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		13.47
योग : 8901		13.47
योग : 89		13.47
योग : 796		33.68
योग : 03		33.68
योग : 2202		11533.68
2401 - फसल कृषि कर्म		
796 - जनजाति क्षेत्र उपयोजना		
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ		
0105 - मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी के अन्तर्गत नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम(के.60/रा.40-के.)		
42 - अन्य व्यय		28.00
योग : 0105		28.00
योग : 01		28.00
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश		
8905 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी के अन्तर्गत नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम		
42 - अन्य व्यय		18.67
योग : 8905		18.67
योग : 89		18.67

	धनराशि
योग : 796	46.67
योग : 2401	46.67
योग : राजस्व लेखा	11580.35

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0105 - राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना (के.60/रा.40-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 18.06

योग : 0105 18.06

0106 - राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना (के.60/रा.40-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 25.80

योग : 0106 25.80

0123 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान (के.60/रा.40-के.)

42 - अन्य व्यय 444.69

योग : 0123 444.69

0125 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें (के.60/रा.40-के.)

42 - अन्य व्यय 163.67

योग : 0125 163.67

0126 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें (के.60/रा.40-के.)

42 - अन्य व्यय 207.20

योग : 0126 207.20

योग : 01 859.42

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

	धनराशि
8905 - राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	12.04
योग : 8905	12.04
8906 - राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	17.20
योग : 8906	17.20
8923 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान	
42 - अन्य व्यय	296.46
योग : 8923	296.46
8925 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें	
42 - अन्य व्यय	109.12
योग : 8925	109.12
8926 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें	
42 - अन्य व्यय	138.13
योग : 8926	138.13
योग : 89	572.95
योग : 796	1432.37
योग : 01	1432.37
योग : 4202	1432.37
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय	
03 - ग्रामीण आवास	
796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना	
02 - मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	157.08
योग : 02	157.08

	धनराशि
योग : 796	157.08
योग : 03	157.08
योग : 4216	157.08

4225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0111 - जनपद मिर्जापुर में ट्राईबल म्यूज़ियम की स्थापना (के. 100/रा.00-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 1.00

योग : 0111 1.00

0112 - जनपद सोनभद्र में ट्राईबल म्यूज़ियम की स्थापना (के. 100/रा.00-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 1.00

योग : 0112 1.00

0113 - जनजातीय शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश का भवन निर्माण (के.100/रा.00-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 1.00

योग : 0113 1.00

योग : 01 3.00

योग : 796 3.00

योग : 02 3.00

योग : 4225 3.00

योग : पूँजी लेखा 1592.45

योग : अनुपूरक 13172.80

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. समग्र शिक्षा अभियान के लिए केन्द्रांश हेतु रुपये 65,00,00,000 एवं राज्यांश हेतु 50,00,00,000 अर्थात् कुल रुपये 1150000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिये राजस्व व्यय हेतु रुपये 33,68,000 तथा पूँजीगत व्यय हेतु रुपये 73,10,000 अर्थात् कुल रुपये 10678000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत नेशनल ई-गवर्नेंस प्रोग्राम हेतु रुपये 4667000 की आवश्यकता ।

4. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें हेतु रुपये 135927000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु रुपये 15708000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. जनपद मिर्जापुर में ट्राईबल म्यूज़ियम की स्थापना हेतु रुपये 100000 की प्रतीक व्यवस्था । आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
7. जनपद सोनभद्र में ट्राईबल म्यूज़ियम की स्थापना हेतु रुपये 100000 की प्रतीक व्यवस्था । आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
8. जनजातीय शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश के भवन निर्माण हेतु रुपये 100000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष

घटक योजना)

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-80 व 46 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1731171.46	1634548.54	3365720.00
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	...	1.00	1.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	47371.24	12160.97	59532.21
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1778542.70	1646710.51	3425253.21
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - समग्र शिक्षा अभियान (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

11000.00

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

13000.00

योग : 0101

24000.00

योग : 01

24000.00

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901 - समग्र शिक्षा अभियान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

7333.33

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

8666.67

योग : 8901

16000.00

03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0101 - फैकेल्टी इमप्रूवमेण्ट (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

39.01

योग : 0101

39.01

योग : 01

39.01

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901 - फैकेल्टी इमप्रूवमेण्ट

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

26.00

योग : 8901

26.00

योग : 89

26.00

योग : 789

65.01

योग : 03

65.01

योग : 2202

40065.01

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

07 - अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2000.00

योग : 07

2000.00

12 - राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

3500.00

योग : 12

3500.00

योग : 789

5500.00

	धनराशि
योग : 01	5500.00
योग : 2225	5500.00

2401 - फसल कृषि कर्म

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0127 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी के अन्तर्गत नेशनल ई गवर्नेस प्रोग्राम (के.60/रा.40-के.)

42 - अन्य व्यय 1084.00

योग : 0127 1084.00

योग : 01 1084.00

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8927 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी के अन्तर्गत नेशनल ई गवर्नेस प्रोग्राम

42 - अन्य व्यय 722.23

योग : 8927 722.23

योग : 89 722.23

योग : 789 1806.23

योग : 2401 1806.23

योग : राजस्व लेखा 47371.24

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0105 - राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना (के.60/रा.40-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 34.86

योग : 0105 34.86

0106 - राज्य विध्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना (के.60/रा.40-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 49.80

	धनराशि
योग : 0106	49.80
0123 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान (के.60/रा.40-के.)	
42 - अन्य व्यय	858.35
योग : 0123	858.35
0125 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें (के.60/रा.40-के.)	
42 - अन्य व्यय	315.93
योग : 0125	315.93
0126 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें (के.60/रा.40-के.)	
42 - अन्य व्यय	399.94
योग : 0126	399.94
योग : 01	
	1658.88
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8905 - राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	23.24
योग : 8905	23.24
8906 - राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	33.20
योग : 8906	33.20
8923 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय बहुअनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान	
42 - अन्य व्यय	572.24
योग : 8923	572.24
8925 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें	
42 - अन्य व्यय	210.62

	धनराशि
योग : 8925	210.62
8926 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत राज्यविश्वविद्यालयों के लिये आधारभूत सुविधायें	
42 - अन्य व्यय	266.63
योग : 8926	266.63
योग : 89	1105.93
योग : 789	2764.81
योग : 01	2764.81
योग : 4202	2764.81
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय	
03 - ग्रामीण आवास	
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	
06 - मुख्य मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	5396.16
योग : 06	5396.16
योग : 789	5396.16
योग : 03	5396.16
योग : 4216	5396.16
6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज	
02 - मल-जल तथा सफाई	
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना	
0402 - नगर पालिका परिषदें	
30 - निवेश/ऋण	1500.00
योग : 0402	1500.00
0403 - नगर पंचायतें	
30 - निवेश/ऋण	2500.00

	धनराशि
योग : 0403	2500.00
योग : 04	4000.00
योग : 789	4000.00
योग : 02	4000.00
योग : 6215	4000.00
योग : पूँजी लेखा	12160.97
योग : अनुपूरक	59532.21

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. समग्र शिक्षा अभियान हेतु रुपये 4000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु रुपये 20611000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना) हेतु रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हेतु रुपये 350000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम हेतु रुपये 180623000 की आवश्यकता ।
6. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु रुपये 262371000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. मुख्य मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु रुपये 539616000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना हेतु रुपये 400000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 084

सामान्य प्रशासन विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-8 व 47 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3646.41	88400.00	92046.41
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	786.00	...	786.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	350.00	...	350.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	4782.41	88400.00	93182.41
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2053 - जिला प्रशासन

093 - जिला स्थापनाएं

03 - कलेक्टर की स्थापनाएं

22 - आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि

50.00

योग : 03

50.00

योग : 093

50.00

योग : 2053

50.00

2075 - विविध सामान्य सेवायें

800 - अन्य व्यय

09 - मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों का आयोजन

42 - अन्य व्यय

300.00

योग : 09

300.00

योग : 800

300.00

योग : 2075

300.00

योग : राजस्व लेखा

350.00

योग : अनुपूरक

350.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश में पधारने वाले राज्य अतिथियों के लिये आतिथ्य व्यय हेतु रूपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के आयोजन के लिये उ.प्र. आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 30000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 086

सूचना विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-11 व 48 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	97402.57	2150.00	99552.57
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	600.00	...	600.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	50500.00	...	50500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	148502.57	2150.00	150652.57
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2220 - सूचना तथा प्रचार

60 - अन्य

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - अधिष्ठान व्यय

22 - आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि

500.00

योग : 03

500.00

योग : 001

500.00

101 - विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार

05 - अधिष्ठान

19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय

50000.00

योग : 05

50000.00

योग : 101

50000.00

योग : 60

50500.00

योग : 2220

50500.00

योग : राजस्व लेखा

50500.00

योग : अनुपूरक

50500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. अधिष्ठाण व्यय हेतु रूपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय हेतु रूपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 091

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

[वर्ष 2024-2025 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-10 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	359220.69	8100.00	367320.69
	भारित	0.01	...	0.01
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	5500.00	...	5500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	364720.69	8100.00	372820.69
	भारित	0.01	...	0.01

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2030 - स्टाम्प पंजीकरण

02 - स्टाम्प-न्यायिकेतर

102 - स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय

03 - गैर अदालती स्टाम्प-

42 - अन्य व्यय

5500.00

योग : 03

5500.00

योग : 102

5500.00

योग : 02

5500.00

योग : 2030

5500.00

योग : राजस्व लेखा

5500.00

योग : अनुपूरक

5500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन को ई-स्टाम्पों की बिक्री पर देय कमीशन के भुगतान हेतु रूपये 550000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।